न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर (राज0)

अपील प्रकरण संख्या 12/46/2019

प्रवेश तिथि 27.06.19

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री बजरंगसिंह पुत्र श्री नौबतसिंह राजपूत ग्राम–विजयनगर, पो. खूंदरोठ, तहसील–नीमराना जिला–अलवर (राज.)–301706		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी नीमराना (अलवर)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 31.07.2019

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 13.05.19 के माध्यम से प्रत्यर्थी विभाग को खाद्य सुरक्षा योजना की पात्रता सूची मे नाम जुडवाने हेतु प्रस्तुत अपील दिनांकः 05.10.2017 के परिप्रेक्ष्य में की गई कार्यवाही बाबत सम्पूर्ण सूचना चाही गई थी।
4. आवेदक को उपरोक्त प्रार्थना–पत्र दिनांकः 13.05.19 में वांछित सूचनायें नहीं मिलने के कारण प्रार्थना–पत्र दिनांकः 21.06.19 के माध्यम से अपीलार्थी द्वारा इस कार्यालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को नोटिस क्रमांकः कोर्ट/ए.डी.एम.प्रथम/आर.टी.आई.अपील/2019/309'10 दिनांकः 27.06.19 के माध्यम तलब कर दिनांकः 04.07.19 को जवाब नोटिस के साथ उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया। जवाब प्राप्त नहीं होने पर पत्र दिनांकः 10.07.19 व दिनांकः 24.07.19 के माध्यम से स्मरण–पत्र जारी करने के बावजूद भी प्रत्यर्थी की ओर से किसी प्रकार का जवाब प्राप्त नहीं हुआ।
6. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से उक्तांकित अपील प्रकरण में निर्णय दिनांक तक ना ही किसी प्रकार का जवाब नोटिस/प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ और ना ही अपील प्रकरण में सुनवाई हेतु कोई उपस्थित हुआ। अपीलार्थी भी उपस्थित नहीं आया।
7. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांकः 13.05.19 पर अधिनियम की धारा 7(1) में विनिर्दिष्ट समयावधि में या उसके बाद एवं प्रकरण में अपीलार्थी

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

P.T.O

द्वारा प्रथम अपील दायर करने के बावजूद भी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। इस प्रकार प्रत्यर्थी पक्ष अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु सजग व गम्भीर नहीं है। प्रत्यर्थी द्वारा प्रकरण में आदिनांक तक कोई जवाब/प्रत्युत्तर/प्रतिक्रिया भी व्यक्त नहीं की गई है और ना ही अधिनियम की धारा 7(8) व 8(1) क से 8(1) ञ में उपलब्ध किन्हीं उपाबन्धों के तहत आवेदन अस्वीकृति/खारिज करने संबंधी जानकारी आवेदक को उपलब्ध कराई गई अर्थात् सूचना उपलब्ध नहीं कराने का कोई युक्तियुक्त कारण आवेदक को उपलब्ध नहीं कराया गया है एवं प्रथम अपील में बार–बार जारी नोटिसों के बावजूद भी अपीलार्थी को सूचना प्रेषित नहीं की है जो अधिनियम की भावना, प्रावधान एवं उद्देश्यों के प्रतिकूल है एवं उक्त अधिनियम की ठोस अनुपालना के प्रति प्रत्यर्थी विभाग की उदासीनता का परिचायक है।

8. अस्तु अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्णय की प्रति प्राप्ति के अधिकतम 07 दिवस में अपीलार्थी के प्रथम आवेदन–पत्र दिनांकः 13.05.19 में वांछित सूचना, उनके अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजी सूचना बिन्दुवार निःशुल्क ही नियमानुसार अधिप्रमाणित कर अपीलार्थी को उपलब्ध कराई जावे एवं उक्त निर्णय तक आवेदक को सूचना प्रेषित नहीं किये जाने व सूचना आवेदन को विलम्बित करने के लिए अधीनस्थ कार्मिकों के विरूद्ध राजस्थान सेवा नियमों में वर्णित प्रक्रियाजनित कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
9. यहाँ यह भी वर्णन करना उचित होगा कि भविष्य में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्र/दिशानिर्देशों के अनुसरण में अधिनियम के प्रावधानानुसार निर्धारित समयावधि में आवेदकों को सहज भाव से सूचना की अदायगी में अविलम्ब सूचना प्रेषित की जावे एवं इस प्रकार की पुनरावृति ना हो, सुनिश्चित करें।
10. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
11. निर्णय घोषित।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0) ALWAR (RAJ.)

अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)